

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

आदेश

आओसं०:- 4495222 ग्राओवि०, पटना, दिनांक:- 21/08/2025
ग्राओवि०-3/स्थाओ-09-01/2022

श्रीमती अनिता भारती, महिला प्रसार पदाधिकारी, किशनगंज को उनके मूल पद-महिला प्रसार पदाधिकारी के पद पर जहानाबाद जिला में पदस्थापित किया जाता है। जिला पदाधिकारी, जहानाबाद अपने स्तर से जिला के रिक्त प्रखंड में उन्हें मूल पद पर पदस्थापित करेंगे।

2. जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर ही संबंधित पदाधिकारी को विरमित किया जायेगा।

3. श्रीमती अनिता भारती को निदेशित किया जाता है कि वे किशनगंज जिला से विरमित होने के पश्चात अधिसूचित स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करेंगी।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

hy 20.8.25
(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक 4495222

दिनांक:- 21/08/2025

ग्राओवि०-3/स्थाओ-09-01/2022

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, किशनगंज एवं जहानाबाद/ उप विकास आयुक्त, किशनगंज एवं जहानाबाद/ जिला कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज एवं जहानाबाद/ श्रीमती अनिता भारती, महिला प्रसार पदाधिकारी, किशनगंज/ प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-14, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

hy 20.8.25
सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक 4495222

दिनांक:- 21/08/2025

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/ आईओटीओ मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित।

hy 20.8.25
सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा, बिहार से प्राप्त माँग पत्र के आलोक में दिनांक-28.07.2025 को आयोजित बैठक में दिए गये निदेश का अनुपालन प्रतिवेदन

क्र०सं०	माँग बिन्दु	विभाग द्वारा अनुपालन																		
1.	आर०पी०डब्ल्यू०डी० एक्ट 2016 के प्रावधानों के अनुसार दृष्टि दिव्यांग को भी मनरेगा जॉबकार्ड बनाने हेतु जिला / प्रखंड कार्यालयों को निर्देश दिये जाए एवं दिव्यांगों को प्रदत्त 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सभी कोटि के दिव्यांगों को उपलब्ध कराया जाए।	वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न तथ्यों से संबंधित सूचीवार प्रतिवेदन अंकित किया गया है जो इस प्रकार है:- <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>कुल निर्गत जॉब कार्ड की सं०-</td><td>1,73,52,363</td></tr> <tr> <td>2</td><td>कुल सृजित मानव दिवस की सं०-</td><td>14,31,73,648</td></tr> <tr> <td>3</td><td>सभी दिव्यांगजन को प्राप्त जॉब कार्ड की सं०-</td><td>55,051</td></tr> <tr> <td>4</td><td>दृष्टिहीन दिव्यांगजन को प्राप्त जॉब कार्ड की सं०-</td><td>कंडिका-04 में वर्णित तथ्यों से संबंधित प्रतिवेदन नरेगा सॉफ्ट पर प्राप्त नहीं है</td></tr> <tr> <td>5</td><td>सभी दिव्यांगजन को दिए गए रोजगार (मानव दिवस) की सं०-</td><td>2,14,916</td></tr> <tr> <td>6</td><td>दृष्टिहीन दिव्यांगजन को दिए गए रोजगार (मानव दिवस) की सं०-</td><td>कंडिका-06 में वर्णित तथ्यों से संबंधित प्रतिवेदन नरेगा सॉफ्ट पर प्राप्त नहीं है।</td></tr> </table>	1	कुल निर्गत जॉब कार्ड की सं०-	1,73,52,363	2	कुल सृजित मानव दिवस की सं०-	14,31,73,648	3	सभी दिव्यांगजन को प्राप्त जॉब कार्ड की सं०-	55,051	4	दृष्टिहीन दिव्यांगजन को प्राप्त जॉब कार्ड की सं०-	कंडिका-04 में वर्णित तथ्यों से संबंधित प्रतिवेदन नरेगा सॉफ्ट पर प्राप्त नहीं है	5	सभी दिव्यांगजन को दिए गए रोजगार (मानव दिवस) की सं०-	2,14,916	6	दृष्टिहीन दिव्यांगजन को दिए गए रोजगार (मानव दिवस) की सं०-	कंडिका-06 में वर्णित तथ्यों से संबंधित प्रतिवेदन नरेगा सॉफ्ट पर प्राप्त नहीं है।
1	कुल निर्गत जॉब कार्ड की सं०-	1,73,52,363																		
2	कुल सृजित मानव दिवस की सं०-	14,31,73,648																		
3	सभी दिव्यांगजन को प्राप्त जॉब कार्ड की सं०-	55,051																		
4	दृष्टिहीन दिव्यांगजन को प्राप्त जॉब कार्ड की सं०-	कंडिका-04 में वर्णित तथ्यों से संबंधित प्रतिवेदन नरेगा सॉफ्ट पर प्राप्त नहीं है																		
5	सभी दिव्यांगजन को दिए गए रोजगार (मानव दिवस) की सं०-	2,14,916																		
6	दृष्टिहीन दिव्यांगजन को दिए गए रोजगार (मानव दिवस) की सं०-	कंडिका-06 में वर्णित तथ्यों से संबंधित प्रतिवेदन नरेगा सॉफ्ट पर प्राप्त नहीं है।																		